

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(13) वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक:- 02.06.2020


आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.04.2020 के द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाईम संवर्ग के अधिकारियों की दिनांक 01.04.20 की स्थिति के अनुसार अन्तरिम वरिष्ठता सूची प्रोविजनल/अस्थाई आधार पर जारी कर दिनांक 18.05.2020 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त अभ्यावेदनों/आपत्तियों का परीक्षण किया गया एवं इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुये उक्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार एतद्वारा जारी की जाती है।

क्र०सं०	नाम अधिकारी	चयन वर्ष
1.	श्री सुरेश कुमार असवाल (अजा)	2012-13
2.	श्री रामकिशोर रैगर (अजा)	2012-13
3.	श्री सत्यनारायण बांगड़	2012-13
4.	श्रीमती रेखा भास्कर (अजा)	2013-14
5.	श्री सुल्तान सिंह (अजा)	2013-14
6.	श्री मुकुंद सोहोनी	2013-14
7.	श्री गजानन्द सोनी	2013-14
8.	श्री संदीप धीर	2013-14
9.	श्री भंवर सिंह चारण	2013-14
10.	श्री सर्वेश तिवाड़ी	2013-14
11.	श्री नरेन्द्र कुमार माथुर	2013-14
12.	श्री मुरारी लाल गुप्ता	2013-14
13.	श्री आलोक माथुर	2013-14
14.	श्री राजकुमार दाधीच	2013-14
15.	श्री अचलेश्वर मीणा (अजजा)	2014-15
16.	श्री भूपेश कुमार माथुर	2014-15
17.	श्री संजय सोलंकी (अजा)	2015-16
18.	श्री राधेश्याम मीणा (अजजा)	2015-16
19.	श्रीमती मंजुबाला जैन	2015-16
20.	श्री अशोक पाठक	2015-16
21.	श्री विमल कुमार गुप्ता	2015-16
22.	श्री सिरमौर मीणा (अजजा)	2017-18
23.	श्री मेवाराम जाट	2017-18
24.	डॉ० तुलसीराम अग्रवाल	2018-19
25.	श्रीमती रितु गुप्ता	2018-19
26.	श्री आदित्य कुमार पारीक	2018-19
27.	श्री ओंकार मल राजोतिया	2018-19
28.	श्री मोहन सिंह (अजा)	2018-19


29.	श्री हृदयेश कुमार जुनेजा	2018-19
30.	श्रीमती कीर्ति जैन	2018-19
31.	श्री शरद मेहरा	2018-19
32.	श्री बृजेश किशोर शर्मा	2018-19
33.	श्री आबिद खान	2018-19
34.	श्रीमती भारती राज	2018-19
35.	श्री राजकुमार मीणा (अजजा)	2019-20
36.	श्री गोपाल लाल विजय	2019-20
37.	श्रीमती संध्या शर्मा	2019-20
38.	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा	2019-20
39.	श्री रामावतार शर्मा	2019-20

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अपूर्व जाशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. संबंधित अधिकारी।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव